

विशेष अधिकारी हस्ता/आदेश/संख्या -
 दिनांक - 6/12/2020 में आवेक की गई। जिसके अनुसार -

आधार का रक्षण का प्रमाण पत्र
 मुकुल कुमार सुवालाल केरुमानपट्ट
 मुकुल पारीक प्र सुवालाल पारीक
 लक्ष्मी लाल उचित है

नांगल
 जीमानजी कुलाबिडे उल्लू इत्यादी
 मुकुल सुई किम गणक उचित है

31/12/2020
 11/12/2020

कार्यालय तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

ILP-UPW

दिनांक -

मुझे ही उपलब्ध अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम सुलभ देवा जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशाप की जाती है/नहीं की जाती है।

उक्त किम जाग उचित है

6/12/2020

तहसीलदार, उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला मुशुनू (राज.)
 - आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) का मुशुनू/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में किमता का दर्ज प्रविष्टि को निम्नांकित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करारमद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	काँट	2075 - 2078	193	महेश कुमार पु सुवालाल	महेश कुमार पारीक पुं सुवालाल पारीक

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जासना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

संख्या - राजस्व/2020/1988

दिनांक - 6/12/2020

- 1 तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
- 2 प्रार्थी/प्रार्थीया को

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी